निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -46/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)- **V,** वा णज्य कर, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)- **V,** वा णज्य कर, देहरादून के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी0के0 श्रीवास्तव स0स0अ0 एवं सुश्री सरूनी शर्मा लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.07.2017 से 03.08.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सराज हुसैन एवं श्री प्रवीण कुमार सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री एन0के0श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 21.11.2016 से 30.11.2016 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः – सहस्त्र धारा रोड़ एवं राजपुर रोड़ के पुर्व का क्षेत्र।
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी वभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	10647.13
2015-16	12117.93
2016-17	15614.03

(ii)(ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय `		अभ्य र्पत रा श
	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	
2014-15	1060.56	-	-	935.60	124.96
2015-16	1566.98	-	-	1505.03	57.95
2016-17	1262.14	-	-	116.38	98.46

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, वत्त **>** आयुक्त कर, वा णज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वा णज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में डप्टी क मश्नर (क0नि0)**-V,** वा णज्य कर, देहरादून को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)– V व0क0 देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह.....03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: माह ....03/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

शून्य

व्यय की लेखा परीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

शून्य

भाग-2 'अ'

प्रस्तर-1 अर्थदण्ड का अनारोपण से राजस्व क्षति ` **6.49** लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर नियमावली 2005 के नियम 11 के अनुसार व्यौहारी जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में `50 लाख से अधिक का आवर्त है कर का भुगतान उत्तरावर्ती माह की 25 तारीख तक करेगा।

पुनः धारा 58(I)(Vii) (ख) के अनुसार युक्ति-युक्ति कारण के बिना- अ धनियम के उपबन्धों के आधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं कया गया है, देय कर का कम से कम दस प्रतिशत अ धक से अ धक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये तक हो, और देय कर का पच्चास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपयों से अ धक हो। अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.) V वा0क0 देहरादून के अ भलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया क नीचे व र्णत निम्न व्यापारियों द्वारा अपना मा सक देय कर।

वलम्ब से जमा कया गया है जिसका ववरण निम्नानुसार हैं।

क्रम सं0	व्यापारी का नाम कर नि0 वर्ष	कर निर्धारण ति थ	देय कर का माह	जमा करने की ति थ	धनरा श (`)
1.	एरियन ब्रेवरिज एण्ड डस्ट्रीलेरीज प्रा0 ल0 2013-14	25.04.16	04/2013	31.05.13	5,52,329/-
2.	एरियन ब्रेवरिज एण्ड डस्ट्रीलेरीज प्रा0 ल0 2013-14	25.04.16	11/2013	30.12.13	9,89,888/-
3.	डी0पी0एम0 आटो सेल्स 2012-13	04.01.17	05/2012	26.06.12	44,18,680/-
4.	शवा लक इण्टर प्राइजेज 2013-14	21.02.17	07/2013	26.08.13	3,57,472/-
5.	श्री सुधीर ट्रे डंग कम्पनी 2013-14	20.08.16	04/2013	27.05.13	48,965/-
6.	श्री सुधीर ट्रे डंग कम्पनी 2013-14	20.08.16	04/2013	27.05.13	86,500/-
7.	रेन्ट वर्क इण्डिया प्रा0 ल0 2013-14	11.11.16	08/2013	05.10.13	35,237/-
8.	मनीष जैन 2014-15	18.07.16	08/2014	29.09.14	4300/-
	योग	-	-	-	64,93,377.00

इस प्रकार सुसंगत नियमों/धाराओं के तहत उक्त पर न्यूनतम 10% से `6,49,338/= का अर्थदण्ड व्यापारियों पर आरोपणीय हैं।

उक्त के सम्बन्ध में इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया क वलम्ब हेतु युक्ति युक्ति कारणों की जाँच कर यथोन्वित कार्यवाही कर सम्प्रेक्षा को अवगत कराया जायेगा।

इस प्रकार अर्थदण्ड के अनारोपण से राजस्व क्षति `6,49,338/- का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग- 2 ब

प्रस्तर- 1 कर का अनारोपण **`0.42** लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर नियमावली 2005 के नियम 13 (2)(ख) के अनुसार अ धनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी समस्त धनरा श जो क्रेताओं को माल के परिदान की तारीख से छः माह के भीतर उनके द्वारा व्यौहारी को वापस कये गये माल के सम्बन्ध में दी गयी हों,

परन्तु यह क लेखे में स्पष्ट हो क माल कस-कस तारीख को बेचा और वापस कया गया था और कस तारीख को और कतनी धनरा श वापस या जमा करने की अनुज्ञा दी गयी थी घटा दिया जायेगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि) V वा0क0 व0 देहरादून के अ भलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया क व्यापारी सर्व श्री जैन मोबाइल इण्डिया प्रा0 ल0 (TIN 05006103944) कर निर्धारण वर्ष 2013-14 की पत्रावली में एवं कर निर्धारण आदेश में 16,04,556/- का वक्रय वापसी कया गया था । पत्रावली में संलग्न उक्त विक्रय वापसी के समर्थन में क्रे डट नोट की जाँच में पाया गया क टीन सेल रिटर्न वक्रय के छः माह के बाद के है जिसे भी वक्रय से कम कर दिया गया था जो क नहीं कया जाना था ववरण निम्मानुसार हैः-

क्रम सं0	वक्रय का दिनांक	क्रे डट नोट का दिनांक	धनरा श (`)
1	04.04.2013	19.01.2014	85855/-
2	23.07.2013	09.05.2014	6,16,597/-
3	09.10.2013	26.07.2014	1,40,254/-
		योग	8,42,706/-

इस प्रकार `8,42,706/- सेल रिटर्न को अमान्य करते हुए 5% का माल होने के कारण `42135/- का कर आरोपणीय हैं तथा नियमानुसार ब्याज भी देय हैं।

उक्त के सम्बन्ध में इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क जाँचोपरान्त कार्यवाही कर सम्प्रेक्षा को अवगत कराया जायेगा।

इस प्रकार छः माह से ऊपर सेल रिटर्न को अमान्य न कये जाने से कर का अनारोपण `42135/- का प्रकरण में लाया जाता हैं।

भाग-**III**

राजस्व से संबंधत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
38/2008-09	01	02
36/2009-10	01	01,02,04,05
01/2013-14	-	02,04,06
41/2014-15	-	01,02,03
20/2015-16	-	01,01,02,03,04
28/2016-17	01,02	01,02,03,04,05,06,07,08

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

व्यय से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)**- V,** वा णज्य कर, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री मनीष मश्रा	डप्टी कमीश्नर
(II)	श्रीमती मनीषा सैनी	डप्टी कमीश्नर

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)**- V,** वा णज्य कर, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र